भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2427

उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

महाराष्ट्र में सरकारी विद्यालयों की संख्या में गिरावट

†2427**. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:**

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दस वर्षों के दौरान देश में सरकारी विद्यालयों की संख्या और छात्रों के प्रवेश में आई कमी के बारे में जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बंद किए गए, विलय किए गए या परिवर्तित किए गए सरकारी विद्यालयों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार और भाषा-माध्यम-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में मराठी-माध्यम के विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने मातृभाषा में शिक्षा अभिगम पर ऐसे विद्यालयों के प्रभाव का, विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कोई आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विद्यालय की तर्कसंगतता, अवसंरचनात्मक कमियों, शिक्षकों के रिक्त पदों और प्रवेश के बदलते प्रतिरूपों से संबंधित नीतिगत उपायों द्वारा इस रुझान में योगदान दिए जाने की जाँच करने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस गिरावट को रोकने और महाराष्ट्र में मराठी-माध्यम के विद्यालयों सहित क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले कदमों का स्पष्ट लक्ष्यों और समय-सीमा के साथ ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक देश और महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या अनुलग्नक-I में है। यूडाइज+ के अनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए उच्च प्राथमिक (VI-VIII), माध्यमिक (IX-X) और उच्चतर माध्यमिक (XI-XII) में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्रमशः 88.1, 76.4 और 43.8 है और वर्ष 2025-26 के लिए यह अनुपात क्रमशः 89.6, 81.5 और 61.7 है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है तथा स्कूलों का खोलना, बंद करना एवं युक्तिकरण करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009, बच्चों को पड़ोस (नेबरहुड) के निर्धारित क्षेत्र अथवा सीमा के भीतर प्रारम्भिक स्कूलों तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन में सभी राज्यों ने अपने पड़ोस संबंधी मानदंडों के लिए क्षेत्र अथवा सीमा अधिसूचित कर दी है। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 8 के अंतर्गत यह भी अनिवार्य किया गया है कि समुचित सरकार प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराए तथा पड़ोस में स्कूलों की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

यूडाइज़+ पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुँच में सुधार की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसका प्रमाण वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2024-25 के सकल पहुँच अनुपात (जीएआर) से प्राप्त होता है:

वर्ष	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक	उच्चतर माध्यमिक
2018-19	97.15	96.49	88.24	65.05
2024-25	97.83	96.57	95.35	94.97

जीएआर: सकल पहुँच अनुपात (जीएआर) से आशय किसी वर्ष में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विद्यालय की उपलब्धता वाले ग्रामों/आबादियों की कुल संख्या का उस वर्ष के ग्रामों/आबादियों की कुल संख्या के अनुपात से है।

केंद्र सरकार, समग्र शिक्षा नामक केंद्र प्रायोजित योजना तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना के अंतर्गत बालवाटिका से कक्षा 8 तक उपलब्ध कराए जाने वाले गर्म पके हुए भोजन के माध्यम से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोडने की दर कम करने तथा नामांकन बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता/अनुदान भी प्रदान किया जाता है। इनमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों का खोलना/सुदृढ़ीकरण, स्कूली अवसंरचना को मजबूत करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन एवं संचालन, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों के रूप में आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत छात्रावासों की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, मौसम अनुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, विद्यालयों में कौशल शिक्षा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों एवं निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण तथा परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सभी पहलों का प्रदर्शन करते हुए पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदर्श विद्यालयों के रूप में 14,500 से अधिक चयनित स्कूलों का विकास करने के उद्देश्य से पीएम श्री योजना भी प्रारंभ की गई है।

अनुलग्नक-I

माननीय संसद सदस्य डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश और एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी द्वारा 'महाराष्ट्र में सरकारी विद्यालयों की संख्या में गिरावट' के संबंध में दिनांक 03/08/2026 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2427 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	सरकारी स्कूल				
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भारत	1101371	1094543	1083747	1032570	1032049
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	344	339	339	342	342
आंध्र प्रदेश	44700	44896	45013	45115	45145
अरुणाचल प्रदेश	3459	3447	3179	3056	3061
असम	53042	50965	47223	47157	46749
बिहार	74908	73528	72630	72610	75555
चंडीगढ़	116	121	121	121	121
छत्तीसगढ़	47216	48848	48671	48547	48619
दादरा और नगर हवेली	301	300	300	300	407
दमन और दीव	119	115	112	109	2751
दिल्ली	2791	2787	2784	2767	821
गोवा	873	846	833	827	34967
गुजरात	35122	35152	35202	35040	14563
हरियाणा	14483	14450	14516	14484	15391
हिमाचल प्रदेश	15489	15465	15433	15398	23167
जम्मू और कश्मीर	23855	23904	24080	23165	35888
झारखंड	40014	39703	35954	35931	49791
कर्नाटक	49883	50066	50184	49834	5020
केरल	5073	4783	5011	5014	915
लद्दाख	-	-	-	913	45
लक्षद्वीप	45	45	45	45	99152
मध्य प्रदेश	122880	122653	122056	99411	65734
महाराष्ट्र	67154	66750	66033	65886	2878
मणिपुर	3323	3037	3073	2876	7795
मेघालय	7793	7805	7802	7799	2558
मिज़ोरम	2595	2582	2564	2552	1975
नागालैंड	2097	2080	2007	2011	50256
ओडिशा	58052	56313	55483	53260	422
पुडुचेरी	424	424	423	422	19330
पंजाब	20568	19515	19404	19377	68813
राजस्थान	68039	66943	67607	67660	851
सिक्किम	874	853	854	851	37589
तमिलनाडु	38307	37634	37728	37579	30015
तेलंगाना	29427	29845	29822	30001	4265
त्रिपुरा	4320	4314	4309	4275	137068
उत्तर प्रदेश	162927	163114	163142	137638	16651
उत्तराखंड	17753	17629	16934	16741	83379
पश्चिम बंगाल	83005	83292	82876	83456	2020-21

स्रोत: यूडाइज़+

अनुलग्नक-I (जारी)

वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी स्कूलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (जारी)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारत	सरकारी स्कूल				
	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
भारत	1022386	1016010	1017660	1013322	1005245
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	342	342	340	335	335
आंध्र प्रदेश	45137	45167	45000	44886	44222
अरुणाचल प्रदेश	2985	2922	2847	2558	2468
असम	45490	44925	45008	44741	44550
बिहार	75558	75550	78120	76320	76435
चंडीगढ़	123	119	119	118	116
छत्तीसगढ़	48743	48728	48803	48827	48853
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	388	387	360	361	353
दिल्ली	2762	2673	2693	2681	2688
गोवा	814	806	789	780	771
गुजरात	34699	34651	34597	34638	34734
हरियाणा	14562	14443	14374	14338	14338
हिमाचल प्रदेश	15380	15447	15217	14725	14460
जम्मू और कश्मीर	23173	18785	18785	18785	18787
झारखंड	35840	35764	35795	35788	35819
कर्नाटक	49679	49520	49306	48844	48527
केरल	5010	4811	4809	4808	4809
लद्दाख	838	841	841	812	733
लक्षद्वीप	38	37	37	36	34
मध्य प्रदेश	92695	92741	92439	92250	91199
महाराष्ट्र	65639	65431	65157	64884	64571
मणिपुर	2889	2922	2934	2952	2934
मेघालय	7783	7778	7779	7789	5620
मिज़ोरम	2563	2567	2587	2617	2613
नागालैंड	1960	1954	1952	1936	1902
ओडिशा	49072	48767	48671	48625	48603
पुडुचेरी	422	422	420	419	419
पंजाब	19259	19245	19242	19243	19241
राजस्थान	68948	69538	70233	70155	69983
सिक्किम	864	864	864	857	829
तमिलनाडु	37636	37658	37672	37626	37539
तेलंगाना	30023	29997	30022	30057	28088
त्रिपुरा	4262	4245	4238	4187	4144
उत्तर प्रदेश	137024	137003	137102	137172	137103
उत्तराखंड	16484	16381	16201	16018	15834
पश्चिम बंगाल	83302	82579	82307	82154	81591

स्रोत: यूडाइज़+